पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

संचिया

ग्राम पंचायत – संचिया

तहसील व ब्लॉक - बिछीवाड़ा

जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गांव का इतिहास - संचिया गाँव पर पुराने समय में राजपूतों का राज था। एक दिन वहाँ के राजा की पानी में बह जाने की वजह से मृत्यु हो गई उसकी विधवा रानी ने अपना सतीत्व सिद्ध करने हेतु उसके साथ अपनी जान दे दी। रानी के सती हो जाने की वजह से इस गाँव का नाम संचिया पड़ा।

गांव का एक परिचय - संचिया गाँव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में है। जिसकी ग्राम पंचायत संचिया और ब्लॉक तथा तहसील बिछीवाड़ा है। गांव में 670 परिवार रहते हैं और आबादी 3,265 हैं। गाँव में मुख्य फले - सडाइया फला, नाल फला, वरहात फला, कन्हैया फला, डामोर फला, कमरिया फला, अहारी फला, उदर फला और नई बस्ती है। 2018 में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 3,100 और पिछड़ा वर्ग की करीब 165 है। आदिवासियों में भगोरा, तराल, वरात, खराड़ी, अहारी, और ननोमा रोता, पंडोर, हड़ात और डोडियार उपजातियाँ हैं। पिछड़ा वर्ग में दरोगा हैं तथा सामान्य वर्ग में राजपूत हैं। गांव के लोग धान, गेहूं, मक्का, गन्ना आदि फसल पैदा करते हैं। पशुपालन करके दूध का भी व्यवसाय करते हैं। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनकी दशा दयनीय है। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़ खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुसूचित जनजाति के परिवारों में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं। गाँव में राशन की दुकान है। गाँव में गाँव सभा का गठन और शिलालेख 20 जनवरी 2018 में हुआ। पेसा कानून की समझ अभी सभी गाँव वासियों को पूरी तरह नहीं है। गाँव के लोगों को दैनिक खरीदारी के लिए सात किलोमीटर दूर कनबा (10 किलोमीटर दूर) या डूंगरपुर(23 किलोमीटर दूर) जाना पड़ता हैं। गांव की जमीन का रकबा 3514 बीघा 15 बिस्वा है।

आवागमन की स्थिति - कहीं आने-जाने के लिए गाँववासियों को लगभग दो से तीन से किलोमीटर पैदल चलकर संचिया टेम्पो स्टेंड तक आना पड़ता है। संचिया टेम्पो स्टेंड से जीप अथवा टेंपो मिलते हैं जो सवारी होने पर ही चलते हैं। यात्रियों को जीप अथवा टेंपो कनबा तक छोड़ते है। यदि यह टेम्पों मिल गये तो ठीक अन्यथा कनबा तक पैदल ही आना पड़ता हैं। कनबा से डूंगरपुर-बिछीवाड़ा मार्ग पर चलने वाले आवागमन के साधन जैसे- बस अथवा जीप मिलती है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने -जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता । बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में मरीजों के इलाज हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र है । नजदीकी सरकारी प्राथमिक चिकित्सालय कनबा में है जो गांव से सात किलोमीटर दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको डूंगरपुर ले जाना पड़ता है जो गांव से 23 किलोमीटर दूर है। आदिवासी परिवारों को 3-4 किलोमीटर पैदल मरीजों को चारपाई या झोली में डालकर गाँव की सड़क तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए कनबा जाना पड़ता हैं जो गाँव से 7 किलोमीटर दूरी पर हैं।पशु अस्पताल भी गांव में नहीं है। वह भी सात किलोमीटर दूर कनबा में ही है। गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं। इन 6 विद्यालयों में लगभग 294 बच्चे पढ़ते हैं और 6 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने ले लिए मात्र 8 अध्यापक हैं। गाँव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें 571 बच्चे पढ़ते हैं और 13 अध्यापक हैं। बच्चों को अपने कक्षा स्तर के अनुरूप ज्ञान नहीं है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 23 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गांव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है

आवागमन की कमी - डूंगरपुर बिछीवाड़ा मुख्य सड़क से मात्र एक पक्की सड़क कनबा होते हुए गांव में आती है और गांव फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है । मुख्य सड़क तक कोई साधन नहीं है। लोग तीन से चार किलोमीटर पैदल आते

जाते हैं। बरसात में आदिवासी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है। आवागमन की समस्या से सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को होती हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव का 244 बीघा चरागाह है उस पर भी कुछ लोगों का कब्जा है। आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पर और पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गांव के समतल जमीनों और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीनों और पहाड़ियों के उपयोग का गांव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीनों और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न हीं उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गांव में एक हीरवा घाटी वाला तालाब है। एक बड़ा नाला है जिस पर छ: एनीकट बने हुए हैं सभी एनीकट टूट गए हैं और बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। गांव के कुछ ही कुओं में वर्ष भर पानी रहता है। सिंचाई के लिए लोगों ने लगभग दो सौ ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद गर्मी आते आते जल स्तर नीचे चला जाता है जिससे लगभग सभी कुएं मार्च-अप्रेल तक सूख जाते हैं। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गांव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है न ही गांव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट ही है। आदिवासी बस्ती के बहुत कम हैंडपंप चालू हैं जिससे उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति -गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर वह धान, गेहूं, मक्का, उड़द, गन्ना और सब्जियों आदि की खेती करते हैं जो उनके खाने के अलावा बेचने के लिए भी बच जाती है। शेष जम्मीन उबड़ खाबड़ है। जिस पर सिर्फ घास होती है। गाँव वासी पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं जिनसे कंपोस्ट खाद तैयार करके खेतों में भी डालते हैं जिनसे उनकी उपज बढ़ती है। आदिवासियों पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं और साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। आदिवासियों के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह ढाई सौ से तीन सौ रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। मनरेगा में भी पूरे सौ दिन कम नहीं मिलता है और मिलता भी है तो मजदूरी सौ रूपये से ज्यादा नहीं मिलती है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	गांव में एक हीरवा घाटी तालाब है जिस में बरसात में पानी भरा रहता है। बरसात के बाद मार्च तक पानी सूख जाता हैं। नाले पर छ: एनीकट बने हैं लेकिन वह टूट गए हैं जिसके कारण बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। कुछ ही कुँए हैं जिनमें पानी पूरे वर्ष रहता है।बाकी कुँए गर्मियों में सूख जाते हैं। ज्यादातर खराब पड़े हैं। सिंचाई के लिए	नाले के एनीकट अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं तथा उस नाले पर और एनीकट बनाया जाए और पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए और गांव के तालाब का गहरीकरण तथा मरम्मत कर दिया जाए तो गांव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गांव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है।

	गाँव में निजी ट्यूबवेल है जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं लेकिन गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनके ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है।	गांव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	कृषि की जमीन 1909 बीघा 17 बिस्वा है। बिलानाम जमीन 10 बीघा 11 बिस्वा है। गांव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है।समतल जमीन काफी उपजाऊ है।गांव में बिला नाम जमीनें भी है जिस पर कुछ लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह भी है लेकिन वह पहाड़ियों पर है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गांव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गांव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है।और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।
जंगल	जंगल की जमीन 409 बीघा 17 बिस्वा है लेकिन स्थिति काफी दयनीय है। जंगल में सिर्फ सूखे पहाड़ है। लघु वन उपज में घास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता है।	जंगल पर सामुदायिक दावा करके गाँव सभा के अधीन करके फलदार पेड़ लगाकर और लघु वन उपज देने वाले पेड़ लगाकर जंगल को हरा-भरा करना और लघु वन उपज प्राप्त करना।
विद्यालय	गाँव के प्रायमरी विद्यालय में अध्यापकों की बेहद कमी हैं। मानकों के अनुसार विद्यालयों में कम से कम 30 अध्यापक होने चाहिए। लेकिन मात्र 8 अध्यापकों से ही काम चलाया जा रहा हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जब अध्यापक ही नहीं तब बच्चों का शैक्षणिक स्तर क्या होगा आसानी से समझा जा सकता हैं। बच्चों के बैठने के लिए कमरे भी नहीं हैं जो हैं वह भी बरसात में टपकते हैं। बच्चों के लिए शुद्ध पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं हैं।	अध्यापकों की नियुक्ति करके तथा कमरों का निर्माण करके बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है।
आगनवाडी	आगनवाडी भवन जर्जर हो गया है छत से पानी टपकता हैं।	नवनिर्माण करके।
सामुदायिक भवन	भवन जर्जर हो गया है।	नवनिर्माण करके।
उपस्वास्थ्य केंद्र भवन	भवन जर्जर हो गया है।	नवनिर्माण करके।
एनिकट	जर्जर हो गया है।	नवनिर्माण करके।
श्मशान घाट	परकोटा और भवन नहीं है।	निर्माण करके।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गांव के कुछ लोग बकरी, गाय, बैल और भैंस पालते हैं। गांव के चरागाह और पहाड़ियों पर कुछ लोगों का कब्जा होने से जो घास मिलती है वह उनके चारे की कमी को पूरा कर देती है। कुछ आदिवासी परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी और भेड़ पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गांव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 60- 80 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी ₹90-100 प्रतिदिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति- ज्यादातर गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। पेंशन, आवास, श्रमिक कार्ड नहीं है। सौ दिन काम नहीं मिलने से वह श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी -कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है । राशन की दुकान पर केवल गेहूं मिलता है पर रसीद नहीं मिलती है। कभी-कभी चीनी भी मिलती है। मिट्टी का तेल सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पास उज्ज्वला योजना गेस कनेक्शन नहीं है। जिसके कारण कई लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । गाँव में वृद्धा पेंशन के लाभार्थियों में 225 महिलाएं, 235 पुरुष तथा 8 एकल नारी पेंशन लाभार्थी और 325 इंदिरा आवास योजना लाभार्थी हैं।

गांव सभा द्वारा चिन्हित समस्याएं,उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र. सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	सार्वजनिक	गांव के रास्ते का निर्माण सार्वजानिक निर्माण विभाग और पंचायत द्वारा किया जाता है। लेकिन मानकों के अनुसार पक्की सड़क और आर.सी.सी. रोड़ नहीं बनने से दो से तीन साल में टूट जाती हैं। गाँव के लोगों के आपसी विवाद भी कभी कभी रास्ते के निर्माण में बाधक होता है। जिन लोगों की जमीन, रास्ते निर्माण के बीच में पडती है उन लोगों	गांव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां-जहां रास्ते नहीं है वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने का प्रयास किया जा रहा है।	तात्कालिक	

			के द्वारा जमीन नहीं देने से बी रास्ता नहीं बन पाता है ।			
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	सार्वजनिक	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो अध्यापक है और न हीं कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	इस समस्या के समाधान के लिए गांव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए पंचायत के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।	तात्कालिक	
3	**कृषि संबधी समस्या**	व्यक्तिगत / सार्वजनिक	गांव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गांव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।	तात्कालिक	
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	व्यक्तिगत	औपचारिकताओं की समी के कारण कुछ पात्र लाभार्थीयों की पेंशन शुरू ही नहीं हो पाई तो कुछ की शुरू होने के 6 माह बाद बंद हो गई । कुछ की उम्र परिचय पत्र में त्रुटीपूर्ण है । गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गांव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं।आवास नहीं बनने के पीछे पंचायत के पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ-साथ जिनको अपना आवास बनाना होता हैं उनको सरपंच को दस हजार रु. सेवा शुल्क देना होता पड़ता	गांव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेतु आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना।जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। इस कार्य के लिए गाँव सभा ने बैठक करके प्रस्ताव लिया हैं और इस कार्य को करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है ।	तात्कालिक	

			हैं। जो लोग यह घुस के रूपये नहीं दे पाते हैं उनका आवास नहीं बनता हैं जो लोग दे पाते हैं उन्हीं को आवास मिलता है।			
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	सार्वजनिक	लोग कई पीढ़ियों से गांव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबिज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है।सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है।जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबिज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।	दीर्घकालिक	
6	**पेयजल की समस्या**	सार्वजनिक	बोरवेल ज्यादा लगने और बरसात का पानी गांव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जाने से समस्याएँ खड़ी हो गयी है और गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	तात्कालिक	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गांव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	कनबा से गाँव तक पक्की सड़क है जो भगोरा फला गाँव तक जाती हैं। पक्की सड़क गाँव के अंदर तक नहीं	रास्ते ठीक होने से गांव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को	गांव कमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के

	हैं। गाँव के सभी रास्ते लगभग कच्चे हैं। कुछ जगह सी.सी. रोड़ बनी हैं लेकिन वह भी समय से पहले टूट-फूट चुकी हैं। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए पगडंडी हैं। बीच में दूसरे की जमीन होने से पगडंडी को चौड़ा करने में परेशानी हैं क्योंकि वे लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं।	आने जाने में समय की बचत होगी।	लोगों में जागरूकता की कमी।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	नाले पर छ: एनीकट है लेकिन टूटे हुए हैं। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। तालाब की मरम्मत और गहरीकरण करना। कुओं की मरम्मत और गहरीकरण नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गांव के लोगों की जागरूकता में कमी।	पुराने एनीकट और तालाब की मरम्मत और नए एनिकट और तालाब बनाना।बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए और गाँव के ट्यूबवेल द्वारा पानी निकालने पर नियंत्रण करके गांव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गांव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गांव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी की खेती, तालाब और एनिकटों में मछली पालन से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा।उन्नतशील बीज का अभाव।जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गांव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गांव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा।सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना।जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना।गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना।खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव।सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा-

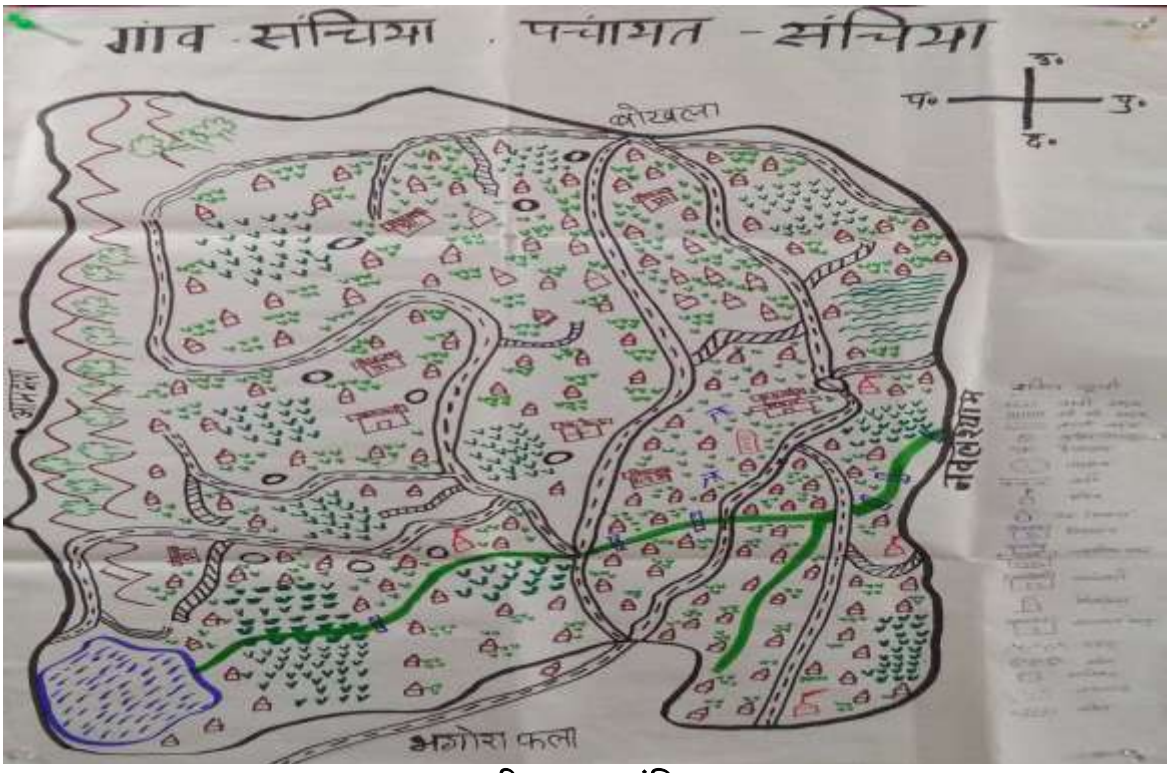

नजरिया नक्शा संचिया

गांव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण --

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	पेंशन वृद्धा पेंशन	18	18
2	विधवा पेंशन	4	4
3	विकलांग पेंशन	2	2
4	एकल नारी पेंशन	5	5
5	पालनहार	2	2
6	स्कूल के संबंध में रा.प्रा.वि. डामोर फला और उदर फला में शिक्षकों की नियुक्ति कमरा निर्माण और शौचालय निर्माण के संबंध में पीने के पानी की व्यवस्था	1	--
7	आगनवाडी के संबंध में आगनवाडी डामोरफला का भवन निर्माण और पौषाहार समय पर मिले	1	50
8	प्रधानमंत्री आवास के संबंध में	48	48
9	खेत समतलीकरण के संबंध में	65	65
10	रास्ता निर्माण -	16	--

11	कुआं गहरीकरण के संबंध में	33	33
12	नए हैंडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के संबंध में	26 8	26 8
13	तालाब निर्माण और गहरीकरण के संबंध में	4	गाँव के समस्त परिवार
14	चेक डैम के संबंध में	33	33
15	एनिकट निर्माण के संबंध में	2	2
16	पशुबाड़ा निर्माण के संबंध में	गाँव के प्रत्येक परिवार	गाँव के समस्त परिवार
17	खेत तलावड़ी बनाने के संबंध में	2	2
18	राशन की दूकान के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
19	वन भूमि पर सामुदायिक दावा करने के संबंध में विचार	1	गाँव के समस्त परिवार
20	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावे के संबंध में विचार	--	--

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया– फोटो गैलेरी

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत संचिया

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गांव की ग्राम सभा से अनुमोदन लेना आवश्यक है।इसमें हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सूची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे हैं जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम. संचिया

प्रतिलिपी:-
1.श्रीमान् विकास अधिकारी..........
2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.........
4. निजी रेकार्ड

अध्यक्ष सचिव
गाँव गणराज्य गाँव सभा
गाँव [illegible] ग्रा.पं. [illegible]
पं.स. [illegible] जि. डूंगरपुर (राज.)

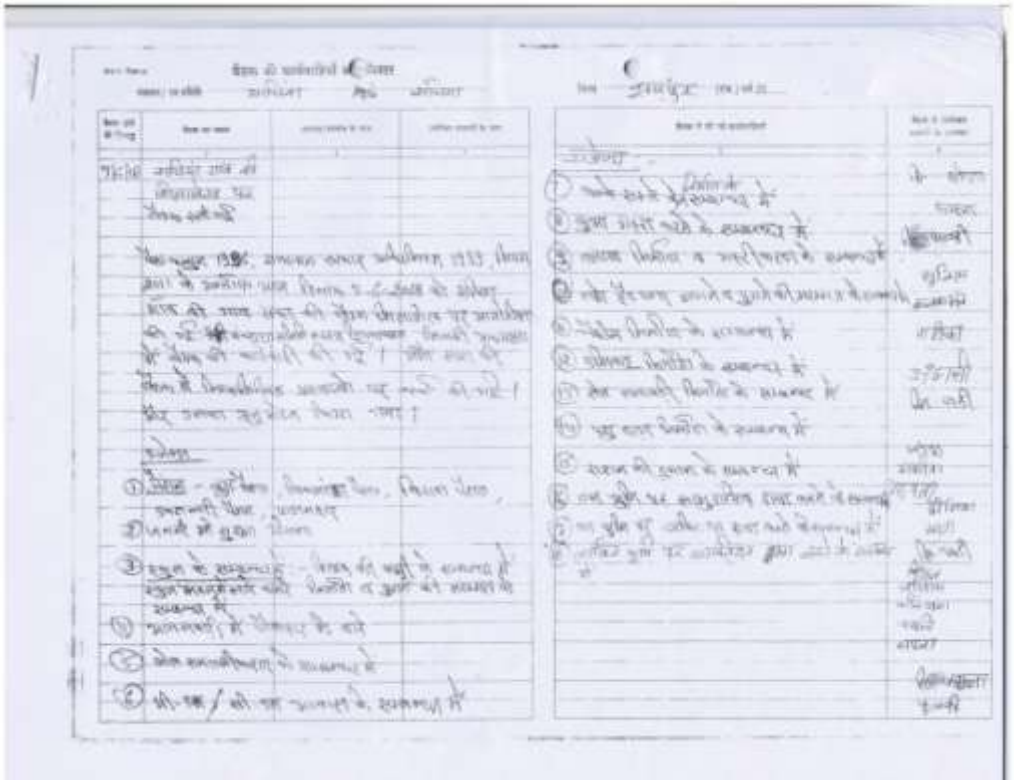

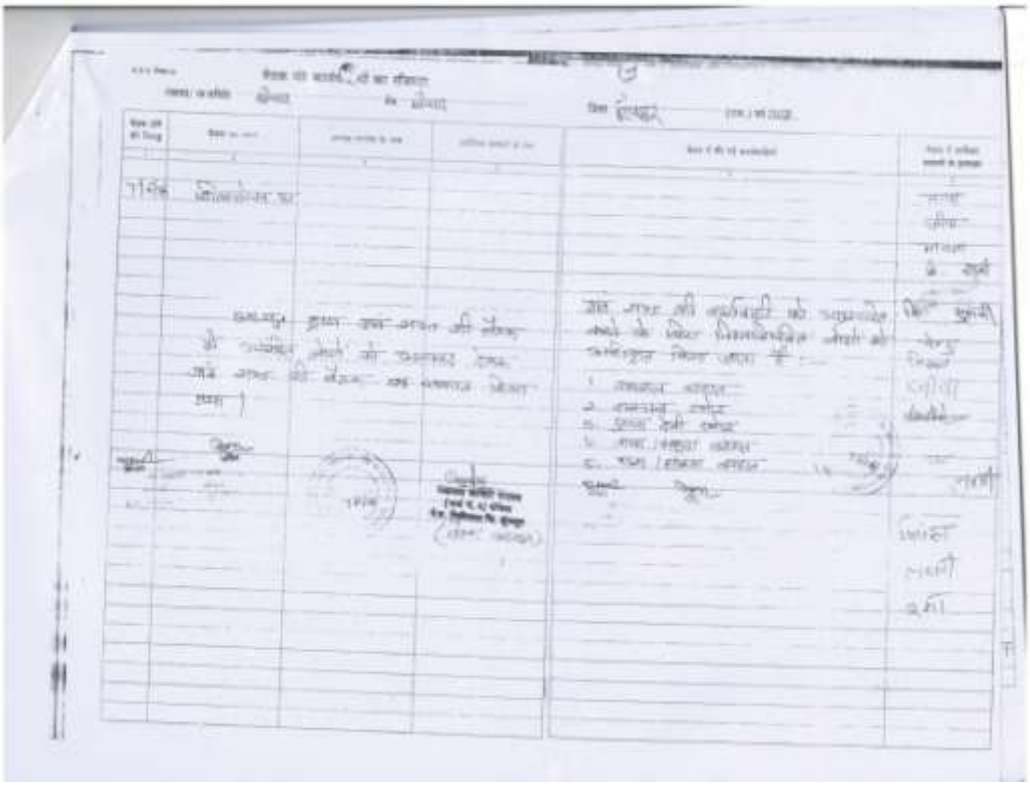

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम(वीपीएफटी) –

1. रामलाल/हरजी वरहात 9784948075
2. बालचंद/फुला डामोर 9649888981
3. शारदा/बेचर वरहात 7226891839
4. सवजी/प्रेमजी वरहात 8229364582
5. मावालाल/जीवा वरहात 8769720519